| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| 31/3/26 | पत्रा. पेश। वास्ते आदेश 28/5/26 को पेश हो।<br>Che<br>उपखण्ड अधिकारी<br>रामगंजमण्डी |
| 28/5/26 | पत्रा. पेश। वादी ने O7 R11 पेश करते हुए यह कथन किया है कि नगर पालिका रामगंजमंडी यह वाद पेश करने का हक नही रखती क्योंकि धारा 177 व 178 में land holder दावा पेश करता है जबकि भूमि आबादी नही है।<br>परन्तु O1 R10 के तहत TDR वादी बन चुका है। यह भी देखा गया है कि दिनांक 18/1/23 को प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जा चुका था परन्तु प्रतिवादी वकील ने न्यायालय को गुमराह कर कहा कि O7 R11 का निस्तारण नही हुआ है।<br>जवाब प्रतिवादी 1 व 2 प्राप्त नही है। जवाब बंद किया जाता है। निम्न तनकीयात कायम की जाती है —<br>1. क्या प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी का उपयोग<br>Che<br>उपखण्ड अधिकारी<br>रामगंजमण्डी |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | कृषि भूमि से अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ किया गया है।<br>(ज़िम्मे वादी)<br><br>२. क्या बिना ~~संक्ष~~ विधिक संपरिवर्तन कराये किया गया उक्त कार्य धारा 177 RTA के ~~विरुद्ध~~ तहत बेदखली का आधार है<br>(ज़िम्मे वादी)<br><br>3. क्या वादीगण राजहित में भूमि को "सिवायचक" घोषित कराने का अधिकारी है।<br>(ज़िम्मे वादी)<br><br>तनकी 1 RI DR रामगंजमंडी व मौका रिपोर्ट 14/2/23 अनुसार यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर पक्के मकानात व शेष पर प्लोट चिन्हित किए गए है।<br><br>जमाबंदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या नया 10 ग्राम गोरधनपुरा से यह स्पष्ट होता है कि खसरा 304 कृषि दर्ज है।<br><br>अतः धारा 177 RTA के नियमो का उल्लंघन सिद्ध होता है। अतः तनकी 1 व २ वादी के | |

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| | पक्ष में जाती है<br>तनकी 3 → प्रतिवादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया है जो काश्तकारी शर्तों के प्रतिकूल है। तहसीलदार रामगंजमंडी (राज्य सरकार) के सह-वादी होने के कारण सार्वजनिक हित में इस भूमि का संरक्षण अनिवार्य हो जाता है अत: तनकी 3 वादीगण के पक्ष में जाती है।<br>वादीगण का दावा विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है।<br>उक्त विवादित आराजी ग्राम गोरधनपुरा स्थित खसरा न. 304 रकबा 0.403 है, को 'सिवायचक' घोषित किया जाता है।<br>TDR रामगंजमंडी को आदेश दिए जाते हैं कि उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर जब्त राज की जावे व राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज की जाए।<br>उप पंजीयक रामगंजमंडी को |

उपखण्ड अधिकारी रामगंजमंडी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि से संबंधित किसी भी अवैध विक्रय का पंजीयन करा जाए। प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार के गैर कृषि कार्य, प्लोटिंग या भूखण्ड बेचान करने से निषेध किया जाता है।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 18/05/2026 को न्यायालय में सुनाया गया।<br>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)<br>Che<br>उपखण्ड अधिकारी<br>रामगंजमण्डी | |